

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by National Securities Depository Limited)

3rd Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, S. B. Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013.



The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is:

AAATI4912K

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filing the return of income, please contact

ITO 6(5),BANDA

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate credit of taxes paid by you and faster processing of return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services.

We may inform that it is mandatory to quote PAN in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of more than one PAN being allotted, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as possessing or using more than one PAN is against law and may attract penalty of upto Rs. 10,000/-

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department

PKG ID: PRC / 00226 / 28092005_01 / FFL



KNP / 56 / 882010100573291111 / 1727230

INSTITUTE OF SOCIAL DEVELOPMENT

INSTITUTE OF SOCIAL DEVELOPMENT,

SITAPUR,

SITAPUR, SITAPUR, CHITRAKOOT,

UTTAR PRADESH - 210204

TEL NO. : 5198 - 224350

(This being a computer-generated letter, no signatures are required)

आयकर पैन सेवा इकाई

नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा संचालित
तीसरी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, एस. बी. मार्ग,
लोअर परेल, मुम्बई - 400 013.

आयकर विभाग को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपको स्थायी लेखा संख्या आवंटित की गयी है।

स्थायी लेखा संख्या कार्ड इसके साथ संलग्न है। आगे, आयकर विवरणी दाखिल करने के लिये कृपया निम्नहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

आय की विवरणी तथा करों के भुगतान के लिए घालानों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि आपके द्वारा भुगतान किये गये करों का सही क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सके और आयकर विवरणी की प्रोसेसिंग गति के साथ की जा सके। साथ ही, विभाग के साथ अन्य सभी पत्र-व्यवहार में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करने से करदाता सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

हमें सूचित करना है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनेक संव्यवहारों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे संव्यवहारों के विस्तृत व्यौरे के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 114 बी के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए का अवलोकन करें।

एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या आवंटित होने की असंभावित स्थिति में इस तथ्य को अपने निर्धारण अधिकारी की जानकारी में अवश्य लायें क्योंकि एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या रखना या प्रयोग करना कानून के विरुद्ध है तथा इसके लिये 10,000 रुपये तक की शास्ति लगायी जा सकती है।

आपके स्थायी लेखा संख्या कार्ड में मुद्रित आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आयकर स्थायी लेखा संख्या सेवा इकाई के उपरोक्त पते पर और स्थायी लेखा संख्या कार्ड के पिछे दिये पते पर सूचित कर सकते हैं।

आयकर विभाग

(यह पत्र कम्प्यूटर के तैयार करने के कारण हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

